



क्र./अस्प.प्रशा./एम्स रायपुर/ २६१

दिनांक — 25/04/2024

Circular / परिपत्र

अस्पताल प्रशासन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इस अस्पताल में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि परिवर्तित अवकाश (commuted leave) उपभोग किये जाने हेतु इस संस्थान के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Medical Un-fit/fit Certificate) केवल संकाय सदस्य (Faculty Member) के द्वारा हस्ताक्षरित प्रति ही मान्य होंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

२०२४

प्रोफे. (डॉ) रेणु राजगुरु
कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
कार्यवाहक सचिव (संस्थान)
Officiating Medical Superintendent
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक (प्रशासन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक (कार्यवाहक), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त उप चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संकाय सदस्य, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त उप नर्सिंग अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, चिकित्सा अभिलेख शाखा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी, पंजीयन शाखा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।